न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

केम्प कोर्ट पिचियाक

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 23/2013

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सरोज पुत्री स्व. श्री सोहनलाल जाति सरगरा निवासी बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. लीलादेवी पत्नी स्व. श्री सोहनलाल 2. राकेश पुत्र स्व. श्री सोहनलाल 3. चेतन पुत्र स्व. श्री सोहनलाल 4. शोभा पुत्री स्व. श्री सोहनलाल 5. सुनीता उर्फ पिंकी पुत्री स्व. सोहनलाल सभी जातियान सरगरा निवासीगण बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 6. सरपंच ग्राम पंचायत पिचियाक तहसील बिलाड़ा 7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2261 आदेश सरपंच ग्राम पंचायत पिचियाक दिनांक 05.03.2012

उपस्थिति :– अपीलान्ट की ओर से श्री जी.एल.कंसारा एडवोकेट,
रेस्पोडेण्ट संख्या 1,3,5 की ओर से श्री एल.आर. राठौड़ एडवोकेट

:: निर्णय :: दिनांक 16.5.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 की पुश्तैनी सह खातेदारी व कब्जासुदा भूमि ग्राम पिचियाक में आयी हुयी है। जिसके खसरा नम्बर 474/3 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 474 रकबा 2 बिस्वा, भूमि में से अपीलान्ट का हिस्सा विधी के अनुसार 1/6 वॉ हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है। अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 5 के पिता श्री सोहनलाल के फौत हो

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत पिचियाक द्वारा म्यूटेशन स्वीकृत करते समय हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 की अनुसूची एवं नियम 2 व धारा 4 की उपधारा 2 की जानबुझकर लैण्ड रेकर्ड रूल्स की घोर अनदेखी करके मृतक श्री सोहनलाल की जायन्दा पुत्री सरोज का नाम जानबुझकर नही लिखा था। उसका नाम नही लिखकर शेष वारिसान का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत ककर गंभीर त्रुटि की व उसे तत्कालीन सरपंच ने व भू अभिलेख अधिकाकरी ने स्वीकृत करने में भारी भूल की है इसलिए इस त्रुटि पूर्ण नामान्तरकरण संख्या 2261 को अविलम्ब खारिज फरमाया जाना अति आवश्यक है। अपीलान्ट ने अपील के धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 2261 के सम्बंध में इस प्रकार की जानकारी नही थी कि इसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण के सभी के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 10 अनुसार निर्वसीयत के फौत हो जाने पर उसकी सम्पति की विभाजन नियम 2 के अनुसार बेटे व बेटियों का बराबर हिस्सा मिल गया होगा। प्रार्थीया को इसका पता दिनांक 30.07.2012 को रेस्पोडेण्ट्स द्वारा एलानिया धमकी देने से हुआ कि उनके नाम कोई खेत की जमीन वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उसने नही रखी है वे उक्त जमीन को बेच देंगे तत्पश्चात् प्रार्थीया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2261 की प्रमाणित नकले लेने से जानकारी हुयी। प्रार्थीया द्वारा प्रथम ज्ञान से उक्त अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अन्त में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 2261 निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जावे।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेण्ट को जरिये समन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 3 व 5 की ओर से श्री लक्ष्मणराम राठोड एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

वकुलाय की बहस सुनी गयी वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर विद्धमान दस्तावेज अनुसार यह साबित होता है कि अपीलान्ट स्व. सोहनलाल की पुत्री है। अतः ग्राम पंचायत पिचियाक द्वारा स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2261 दिनांक 05.03.2012 स्वीकृत करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है इस कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

की गयी अपील को अन्दर म्याद सुमार की जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है और म्यूटेशन संख्या 2261 ग्राम पिचियाक दिनांक 05.03.2012 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बिलाड़ा को इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि कें सम्बंध में नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करे। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण लौटाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा